शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय (स्वशासी संस्था),ए.बी.रोड़, इन्दौर म.प्र.

फोन – नं. 0731–2527383, 2527679, 2528516

Website:- www.mgmmcindore.in E-mail:- deanliabrary@gmail.com

सह–चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्तय पाठ्यक्रम

निर्देशिका एवं आवेदन पत्र वर्ष 2018–2019

महात्मा गांधी स्मृति अलाईड हेल्थ साईसेंस इंस्टिट्यूट, इन्दौर (एम.ए.एच.एस.आई.आई.) (MAHSII)

सह–चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्तय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

महत्वपूर्ण तिथियॉ

1.	नियम–निर्देशिका एवं आवेदन पत्र कॉलेज की वेबसाईट **www.mgmmcindore.in** पर उपलब्ध होने की तिथि	16.08.2018
2.	भरे हुए आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि	10.09.2018 सांय 05 बजे तक
3.	विलम्ब शुल्क के साथ आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यालयीन समय पर जमा करने की अंतिम तिथि	12.09.2018 सांय 05 बजे
4.	प्रावीण्य सूची की घोषणा	20.09.2018 सांय 05 बजे तक
5.	प्रावीण्य सूची की घोषणा से संबंधित आपत्ती दर्ज कराने की तिथि	22.09.2018 सांय 05 बजे तक चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के पैरामेडिकल शाखा में जमा करावे।
6.	काउन्सिलिंग शेडियूल	काउन्सिलिंग में स्वयं को उपस्थित होना अनिवार्य है।
	अ. स्नातक कोर्स हेतु काउन्सिलिंग	25.09.2018 प्रातः 09 बजे से मेडिकल कॉलेज सभा गृह में
	ब. डिप्लोमा कोर्स हेतु काउन्सिलिंग	26.09.2018 एवं 27.09.2018 प्रातः 09 बजे से मेडिकल कॉलेज सभा गृह में
	स. प्रमाण पत्र कोर्स हेतु काउन्सिलिंग	28.09.2018 प्रातः 09 बजे से मेडिकल कॉलेज सभा गृह में
7.	कक्षा प्रारम्भ होने की तिथि	01.10.2018 प्रवेशित कोर्स के संबंधित विभाग में
8.	पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त जानकारी के लिए	Website:- www.mgmmcindore.in नियमित रूप से देखें।

सह–चिकित्सीय स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र स्ववित्तय पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

दिशा निर्देश

आवेदन शुल्क :– आवेदक को आवेदन फॉर्म की आवेदन शुल्क राशि रूपये 500/– सामान्य वर्ग एवं आरक्षित वर्ग रूपये 300/– एम.जी.एम.मेडिकल (ऑटोनोमस सोसायटी) इंदौर के बैंक खाता क्रमांक 53003590071 स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, एम.वाय. हास्पीटल, शाखा कैम्पस, इन्दौर (आई.एफ.सी. कोड **SBIN0030359**) के बैंक खाते में जमा कर बैंक रसीद की मूल प्रति आवेदन–पत्र के साथ लगायी जाना अनिवार्य है। बैंक रसीद की प्रति संलग्न नहीं होने पर आवेदन–पत्र अमान्य होगा।

निर्धारित समय अवधि में प्राप्त आवेदन शुल्क :–

सामान्य वर्ग हेतु	:रू 500/–
आरक्षित वर्ग हेतु	:रू. 300/–

नोट :–

1. आवेदन पत्र महाविद्यालय की वेबसाईट **www.mgmmcindore.in** पर दिनांक 16.08. 2018 से 10.09.2018 तक उपलब्ध होगे एवं दिनांक 10.09.2018 को सांय 05 बजे तक भरे हुए आवेदन पत्र "पैरामेडिकल शाखा, महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, ए.बी. रोड, इन्दौर" के पते पर लिफाफे के ऊपर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु लिखकर जमा करना होगा।
2. निर्धारित तिथि 10.09.2018 के पश्चात एवं 12.09.2018 सांय 05 बजे तक प्राप्त आवेदन की शुल्क रू 200/– अतिरिक्त होगी एवं 12.09.2018 सांय 05 बजे के पश्चात भरे हुए फॉर्म नहीं लिये जावेगे।
3. आवेदक आवेदन पत्र के साथ समस्त अंक सूची एवं प्रमाण–पत्रों की स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
4. उपरोक्त निर्धारित तिथि को आयोजित काउसलिंग में उम्मीदवार को स्वयं उपस्थित होकर गठित समिति के समक्ष अपना पाठ्यक्रम चयन करना होगा।

M.G.M. MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS AUTONOMOUS SOCIETY, INDORE

Message

We are happy that you have in your hand first prospectus of new institute.Government has announced 8 new medical colleges. For them we need skilled and technical paramedics. On reviewing the present scenario we realized that we are in acute shortage of manpower. The first paramedical course was opened in Indore in 1997 under self financing scheme. Later paramedical council came in existence. Government took the fast decision to start first institute of allied health sciences at Indore. For this we have requested Prof Taneja to give shape and bring it to sound foundation.We are happy he has accepted. We have increased the number of seats, added many new courses. 61 different posts have been sanctioned and will be soon filled. New building for this institute has been sanctioned and for girls 250 capacity hostels has also been sanctioned.

I can assure that majority of you will be able to get good placement. we are planning to have campus interview and placement. We are very conscious of the quality, hence regular monitoring of the courses will be done.

Wishing a very bright future for the institute and I on behalf of the Government can assure that every help will be given from time to time

Shri Radheshyam Julania, (I.A.S.)
Additional Chief Secretary
Medical Education Madhya Pradesh
Bhopal

M.G.M. MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS AUTONOMOUS SOCIETY, INDORE

Message

I am Delighted that the pocess has started for admission to different courses of Paramedical. In view of the increasing demand of skilled technician for the 8 new medical colleges and many private hospitals, the decision has been taken to establish the first ALLIED HEALTH INSTITUTE IN INDORE. Many new courses have been sanctioned, and the administrative and academic posts have been also sanctioned. Soon we will be absorbed through campus placement.

We have selected Dr. D.K. Taneja, Ex. Dean as the founder Director to establish it and bring it amongst the best in the country.

We look forward to welcome you all.

Shree Raghvendra Singh (I.A.S.)
Commissioner Indore Division
Chairman Executive Committee
M.G.M. Medical College & Associated
Hospitals Autonomous Society, Indore

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर म.प्र.

संदेश

मुझे बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 1997 में इस महाविद्यालय में प्रारम्भ किया गया फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम अब स्टेट अलाईड हेल्थ इन्सटीट्यूट का भव्य रूप धारण करने जा रहा है। म.प्र. राज्य शासन द्वारा राज्य के पहले अलाईड हेल्थ इन्सटीट्यूट की स्थापना करने का निर्णय लिया है जिसकी जिम्मेदारी मुझे सौपी गई है। इस संस्थान को आरम्भ करने में श्री राधेश्यामजी जुलानिया, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं श्री राघवेन्द्र सिंहजी संभागायुक्त इन्दौर, अध्यक्ष महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर म.प्र. का विशेष योगदान है उनके ही अथक प्रयासों से ही यह सपना साकार होने जा रहा है।

भविष्य की योजनाओं को देखते हुए संस्था में पुराने पाठ्यक्रमों में सीटों में वृद्धि एवं 18 नए कोर्स प्रारम्भ किये जा रहें है । प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों का उन्नयन कर उन्हें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में परिवर्तित किया जा रह है। बैचलर ऑफ आक्युपेशनल थेरेपी एवं बैचलर ऑफ एक्स रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन पाठ्यक्रम विशेष रूप से इसी सत्र से आरम्भ किये जा रहा है, भविष्य में बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स एवं आर्थोटिक्स व बैचलर ऑफ स्पीच एण्ड लैग्वेज पैथोलॉजी पाठ्यक्रम शुरू किये जावेंगे।

भारत सरकार से भी इस संस्थान को भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस संस्थान के माध्यम से हम दक्ष फिजियोथेरेपिस्ट, आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं अन्य सह–चिकित्सीय कर्मी तैयार करेगें। जैसा कि आप सभी को विदित है म.प्र. राज्य शासन आठ नए मेडिकल कालेज आरम्भ कर रहा है, जिनके लिए दक्ष फिजियोथेरेपिस्ट, आक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एवं अन्य सह–चिकित्सीय कर्मीयों की श्रम शक्ति की अतिआवश्यकता है। अतः संस्थान से उत्तीर्ण समस्त छात्रों को बहुत अच्छी नौकरियों के अवसर प्राप्त होगें। हमारा पूरा मेडिकल कालेज, स्टाफ बडी आतुरता के साथ आपकी प्रतिक्षा कर रहा है। इस वर्ष का शैक्षणिक सत्र 01 अक्टुबर 2018 से प्रारम्भ हो जावेगा।

आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामनाओं के साथ.....................

डॉ. डी. के. तनेजा, **D.orth, MS orth, FAMS, , FRCS (Eng)**
(पूर्व अधिष्ठाता)
संस्थापक निदेशक
म.गां.स्मृ. अलाईड हेल्थ साईसेस इस्टीट्यूट
इन्दौर

दिनांक 16.08.2018

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबंधित चिकित्सालय (स्वशासी संस्था), इन्दौर म.प्र.

<u>संदेश</u>

महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर प्रदेश का ही नहीं अपितु इस देश का एक अत्यंत पुरानी गौरवमयी परम्परा को निभानेवाला संस्थान है, जिसे चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थ सेवाओं में उत्कृष्ट केन्द्र के रूप में जाना जाता है। इस संस्थान में विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर मेडिकल विषयों के छात्रों को सतत् प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

लगभग 62 वर्ष पूर्व 77 वर्षीय किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल का उन्नयन कर महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई। इस गौरवमयी 137 वर्षीय इतिहास में महाराजा यशवंराव चिकित्सालय, ग्यारहपंच ट्रस्ट कैंसर अस्पताल, दंत चिकित्सा महाविद्यालय, चाचा नेहरू बाल चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र, मानसिक चिकित्सालय, कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं स्कूल आर्फ नर्सिंग इत्यादि महत्तवपूर्ण संस्थाए सम्मिलित रही है। इसी श्रंखला में 1997 से चरणबद्ध तरीके से सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत स्नातक, डिप्लोमा, एवं प्रमाण–पत्र का प्रबंधन एवं संचालन कुशलतापूर्वक किया जा रहा है। मेडिकल शिक्षा एवं सह–चिकित्सा का विस्तार करते हुए वर्ष 2018 ''स्टेट अलाईड हेल्थ पैरामेडिकल इस्टीट्यूट '' का गठन करते हुए विभिन्न 12 सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम प्रारंभ किया है । ''स्टेट अलाईड हेल्थ पैरामेडिकल इस्टीट्यूट '' के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ किए गए है।

इन पाठ्यक्रमों के महत्व के बारे में संक्षेप में यहा उल्लेख करना तर्कसंगत एवं न्यायोचित होगा कि वर्तमान में विषय में चिकित्सा शिक्षा एवं स्वास्थय सेवाओं का प्रबंधन एवं संचालन बिना सह–चिकित्सीय कर्मचारी (पैरामेडिकल स्टाफ) के एक दिवा स्वप्न सा है। इसलिए आज के चिकित्सा क्षेत्र में इन पाठ्यक्रमों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान है।

इस पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले सभी आकांक्षियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाओं सहित।

डॉ. शरद थोरा
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गां.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय स्वशासी संस्था, इन्दौर

दिनांक 16.08.2018

कार्यकारिणी

सलाहकारः

श्री राधेश्याम जुलानिया (आई.ए.एस.)
अपर मुख्य सचिव
चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.

श्री शिवशेखर शुक्ला (आई.ए.एस.)
आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र., भोपाल

श्री राघवेन्द्र सिंह (आई.ए.एस.)
संभागायुक्त, इन्दौर एवं
अध्यक्ष, कार्यकारिणी परिषद
म.गां.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं
संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था, इन्दौर

डॉ. श्रीमती उल्का श्रीवास्तव (एम.एस.)
संचालक, चकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल

डॉ. डी.के. तनेजा, D.orth, MS orth, FAMS, , FRCS (Eng)
(पूर्व अधिष्ठाता)
संस्थापक निदेशक
म.गां.स्मृ. अलाईड हेल्थ साईसेस इस्टीट्यूट
इन्दौर

डॉ. शरद थोरा (एम.डी., एफ.आई.ए.पी., एफ.एन.एन.एफ.)
अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
म.गां.स्मृ. चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध
चिकित्सालय स्वशासी संस्था, इन्दौर

उच्च स्तरीय समन्वय समिति

अध्यक्ष	:	डॉ. श्रीमति अनिता मूथा माईक्रोबायलॉजी विभाग
उपाध्यक्ष	:	डॉ.श्रीमती सविता व्यास फार्माकोलॉजी विभाग
	:	डॉ.श्रीमती संगीता पानेरी बायोकेमेस्ट्री विभाग
पाठ्यक्रम सलाहकार	:	डॉ.श्रीमती वीणा येशीकर सामुदायिक चिकित्सा विभाग
	:	डॉ.श्रीमती मोनिका गांधी एनेस्थिसिया विभाग
सम्पर्क अधिकारी एवं समन्वयक	:	डॉ. मनीष पुरोहित माईक्रोबायलॉजी विभाग
	:	डॉ. पंकज शिंदे पैथोलॉजी विभाग
	:	डॉ. राहुल रोकडे सामुदायिक चिकित्सा विभाग
	:	डॉ. गीता शिवराम सामुदायिक चिकित्सा विभाग
	:	डॉ. रामहरी मीणा,फिजियोथेरपी
पैरामेडिकल शाखा प्रभारी	:	श्री गोपाल राणे

—: संबधित चिकित्सालय एवं अधीक्षक :—

महाराजा यशवंत राव चिकित्सालय	:	डॉ. वी.एस. पाल
कैन्सर हास्पिटल	:	डॉ. रमेश आर्य
चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	:	डॉ. हेमन्त जैन
मानसिक चिकित्सालय	:	डॉ. रामगुलाम राजदान

—: संबधित विभाग एवं विभागाध्यक्ष :—

एनाटॉमी विभाग	:	डॉ. अमीत जुल्का
फिजियोलॉजी विभाग	:	डॉ. अपर्णा जोशी
बायोकेमेस्ट्री विभाग	:	डॉ. पुर्णिमा डे सरकार
पैथोलॉजी विभाग	:	डॉ. सी.वी. कुलकर्णी
माईक्रोबायलॉजी विभाग	:	डॉ. अनिता मूथा
फार्माकोलॉजी विभाग	:	डॉ. पुजा सोलंकी
नेत्ररोग विभाग	:	डॉ. विजय भाईसारे
सर्जरी विभाग	:	डॉ. आर. के. माथुर
स्त्री एवं प्रसुति रोग विभाग	:	डॉ. निलेश दलाल
मेडिसिन विभाग	:	डॉ. वी.पी. पाण्डे
एक्स–रे विभाग	:	डॉ अलका अग्रवाल
अस्थिरोग विभाग	:	डॉ दिनेश कुमार सोनकर
नाक कान गला विभाग	:	डॉ आर. के. मुदड़ा
सामुदायिक चिकित्सा विभाग	:	डॉ. संजय दीक्षित
एनेस्थिसिया विभाग	:	डॉ. के.के. अरोरा
फोरेन्सिक मेडिसिन विभाग	:	डॉ. संजय दादु

पाठ्यक्रम का विवरण, प्रभारी अधिकारी एवं संमन्वयक

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	विभाग	प्रभारी अधिकारी	पाठ्यक्रम संमन्वयक
	स्नातक पाठ्यक्रम			
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.)	डॉ. दिनेश कुमार सोनकर	डॉ. रामहरी मीणा
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी(बी.ओ.टी.)			
3	बैचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर	एक्स–रे	डॉ. अलका अग्रवाल	डॉ. सौरभ अतराम
	डिप्लोमा पाठ्यक्रम			
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. सी.वी. कुलकर्णी	डॉ. पंकज शिंदे
5	डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्निशियन	एनेस्थिसिया	डॉ. के.के. अरोरा	डॉ. रश्मि पाल
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निशियन	माइक्रोबायोलॉजी	डॉ. अनिता मूथा	डॉ. मनीष पुरोहित
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्निशियन	बायोकेमेस्ट्री	डॉ. पूर्णिमा डे सरकार	डॉ. सगीता पानेरी
8	डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्निशियन	मेडिसीन	डॉ. वी.पी. पाण्डे	डॉ. योगेश जामरा
9	डिप्लोमा इन ह्ययूमन न्युट्रीशन टेक्निशियन	चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय	डॉ. हेमन्त जैन	डॉ.निर्भय मेहता
10	डिप्लोमा इन आप्थेल्मिक असिस्टेन्ट टेक्निशियन	नेत्र रोग	डॉ विजय भाईसारे	डॉ. नितु कोरी
11	डिप्लोमा इन ब्लड़ ट्रान्सफयूजन टेक्निशियन	पैथोलॉजी	डॉ. सी.वी. कुलकर्णी	डॉ. योगेश पावडे
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	रेडियोथेरेपी	डॉ. रमेश आर्य	डॉ. नितिन तोमर
	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम			
13	सर्टीफिकेट इन हेल्थ इन्सपेक्टर	सामुदायिक चिकित्सा	डॉ. संजय दीक्षित	डॉ. वीणा येशिकर
14	सर्टीफिकेट इन ई.सी.जी.टेक्निशियन	मेडिसिन	डॉ. वी.पी. पाण्डे	डॉ. धर्मेन्द्र झंवर
15	सर्टीफिकेट इन एक्स–रे टेक्निशियन	एक्स–रे	डॉ. अलका अग्रवाल	डॉ. सौरभ अतराम
16	सर्टीफिकेट इन ऐनेस्थिसिया टेक्निशियन	एनेस्थिसिया	डॉ. के. के. अरोरा	डॉ. रश्मि पाल
17	सर्टीफिकेट इन आर्थोपेडिक्स टेक्निशियन	अस्थिरोग	डॉ. दिनेश सोनकर	डॉ. कुन्दन कुशवाह
18	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थेटर टेक्निशियन (ओ.टी.)	सर्जरी	डॉ. आर.के. माथुर	डॉ. अंकुर माहेश्वरी
19	सर्टीफिकेट इन रेस्पीरेट्री टेक्निशियन	टी.बी. चेस्ट	डॉ. सलील भार्गव	डॉ. एस.डी. चौबे

नियम एवं निर्देश

वर्ष 2018–2019

अ. उपलब्ध पाठ्यक्रम

स्नातक डिग्री **सह–चिकित्सीय पाठ्यक्रम**

1. बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)
2. बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपी (बी.ओ.टी.)
3. बैचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर

द्विवर्षीय सह–चिकित्सीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

1. डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन
2. डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्निशियन
3. डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निशियन
4. डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्निशियन
5. डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निशियन
6. डिप्लोमा इन ह्ययूमन न्यूट्रिशियन टेक्निशियन
7. डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट
8. डिप्लोमा इन ब्लड़ट्रान्सफ्युजन टेक्निशियन
9. डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन

एक वर्षीय सह–चिकित्सीय प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम

1. सर्टीफिकेट कोर्स इन हेल्थ इन्सपेक्टर
2. सर्टीफिकेट कोर्स इन ई.सी.जी. टेक्निशियन
3. सर्टीफिकेट कोर्स इन एक्स–रे टेक्निशियन
4. सर्टीफिकेट कोर्स इन ऐनेस्थिसिया टेक्निशियन
5. सर्टीफिकेट कोर्स इन आर्थोपेडिक्स टेक्निशियन
6. सर्टीफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थेटर टेक्निशियन (ओ.टी.)
7. सर्टीफिकेट कोर्स इन रेस्पीरेट्री टेक्निशियन

पाठ्यक्रम अवधि एवं प्रवेश हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या

क्र.स.	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	उपलब्ध सीट
1	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	4½ वर्षीय	100
2	बैचलर ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपीस्ट (बी.ओ.टी.)	4½ वर्षीय	30
3	बैचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोडायग्नोशिस टेक्निशियन	3 वर्षीय	20
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	2 वर्षीय	25
5	डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्निशियन	2 वर्षीय	10
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री टेक्निशियन	2 वर्षीय	10
8	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
9	डिप्लोमा इन ह्ययूमन न्यूट्रिशियन	2 वर्षीय	20
10	डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट	2 वर्षीय	10
11	डिप्लोमा इन बल्ड ट्रान्सफुशन	2 वर्षीय	25
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	2 वर्षीय	20
13	सर्टीफिकेट कार्स इन हेल्थ इन्सपेक्टर	1 वर्षीय	25
14	सर्टीफिकेट कार्स इन ई.सी.जी. टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
15	सर्टीफिकेट कार्स इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
16	सर्टीफिकेट कार्स इन ऐनेस्थिसिया टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
17	सर्टीफिकेट कार्स इन आर्थोपेडिक्स टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
18	सर्टीफिकेट कार्स इन ऑपरेशन थेटर टेक्निशियन(ओ.टी.)	1 वर्षीय	20
19	सर्टीफिकेट कार्स इन रेस्पोरेट्री टेक्निशियन	1 वर्षीय	20
	कुल सीट		**455**

ब. सीटों का आरक्षण

समस्त पाठ्यक्रमों में उपलब्ध सीटों पर आरक्षण म.प्र. शासन के नियमानुसार अनुसूचीत जनजाति 20 प्रतिशत, अनुसूचीत जाति 16 प्रतिशत, अन्य पिछडा वर्ग 14 प्रतिशत हेतु आरक्षित है।

S.No.	Name of Course	Proposed Admission	Seats Distribution					
			UR	ST	SC	OBC	MP	FF
1	बैचलर डिग्री ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी)	100	46	20	16	14	2	2
2	बैचलर डिग्री ऑफ आक्यूपेश्नल थेरेपिस्ट (बी.ओ.टी.)	30	15	6	5	4		
3	बैचलर डिग्री ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	20	10	4	3	3		
4	डिप्लोमा इन मेडिकल लेब टेक्निशियन	25	12+1#	5	3+1#	3		
5	डिप्लोमा इन एनेस्थिसिया टेक्निशियन	10	5	2	2	1		
6	डिप्लोमा इन माइक्रोबायोलॉजी	20	9+1#	3+1#	3	3		
7	डिप्लोमा इन क्लिनिकल बायोकेमेस्ट्री	10	5	1+1#	2	1		
8	डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निशियन	20	9+1#	3+1#	3	3		
9	डिप्लोमा इन ह्ययूमन न्यूट्रिशियन	20	10	4	3	3		
10	डिप्लोमा इन आप्थेलमिक असिस्टेन्ट	10	5	2	1+1#	1		
11	डिप्लोमा इन बल्ड ट्रान्सफुशन	25	12+1#	4+1#	4	4		
12	डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्निशियन	20	9+1#	3+1#	3	3		
13	सर्टीफिकेट इन हेल्थ इन्सपेक्टर	25	12+1#	4+1#	4	4		
14	सर्टीफिकेट इन ई.सी.जी. टेक्निशियन	20	9+1#	4	2+1#	3		
15	सर्टीफिकेट इन एक्स–रे रेडियोग्राफर टेक्निशियन	20	9+1#	4	2+1#	3		
16	सर्टीफिकेट इन ऐनेस्थिसिया टेक्निशियन	20	9+1#	4	2+1#	3		
17	सर्टीफिकेट इन आर्थोपेडिक्स टेक्निशियन	20	9+1#	4	2+1#	3		
18	सर्टीफिकेट इन ऑपरेशन थेटर टेक्निशियन(ओ.टी.)	20	9+1#	4	2+1#	3		
19	सर्टीफिकेट इन रेस्पोरेट्री टेक्निशियन	20	9+1#	3+1#	3	3		

नोटः– इस सुची में नए पाठ्यक्रम का समावेश किया जा सकता है।

शासकीय विभागीय कर्मचारीयों हेतु आरक्षीत

M.P. - MILITARY PERSON
F.F. - FREEDOM FIGHTER

(1) सीटों का आरक्षण एवं आवंटन मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार होगा।
(2) प्रत्येंक वर्ग क्षैतिज रूप में 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिये आरक्षित होगी।
(3) 3 प्रतिशत सीट स्वतंत्रता सेनानी तथा सैनिक वर्ग के लिए आरक्षित होगी।
(4) दिव्यांग प्रवर्गः– ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थी, जो मध्यप्रदेश राज्य के स्थानीय निवासी हैं तथा जो अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, एवं अन्य पिछडा वर्ग अथवा अनारक्षित श्रेणी के हैं, के लिए प्रत्येक श्रेणी में तीन (3%) प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी। यह आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) होगा।

नोट :– दिव्यांग श्रेणी में प्रवेश हेतु केवल निचले अंगों की गतिक विकलांगता में 50 से 70 प्रतिशत दिव्यांगता वाले आवेदक ही पात्र होगें 50 से 70 (PH-1) प्रतिशत की विकलांगता के आभ्यार्थी उपलब्ध नहीं होने पर 40 प्रतिशत से 50 (PH-2) प्रतिशत के अभ्यार्थीयों से यह स्थान भरे जावेंगे एवं उन्हें अधीक्षक, व्यवसायिक पुनर्वास केन्द्र, नेपियर टाऊन, जबलपुर, श्रम मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र ही मान्य होगा।

स. प्रवेश हेतु पात्राता

1. पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 पैटर्न की 12वी. कक्षा (हायर सेकन्डरी) की परीक्षा भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान/बायोटेक्नोलॉजी विषय (P.C.B.) लेकर उत्त्तीण की हो एवं हायर सेकेन्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 परीक्षा अनारक्षित श्रेणी हेतु 40 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 33 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तथा डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आवेदक को अनारक्षित श्रेणी हेतु 50 प्रतिशत एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदकों को 45 प्रतिशत अंक के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। (म.प्र. सहचिकित्सीय परिषद नं मान्यता/1653 (04) दि.3.9.2004 के अनुसार)
2. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा मान्य होने पर मान्यता प्राप्त व्होकेशनल कोर्स के अंतर्गत यदि संबंधित विषय बायोलॉजी समूह से होने पर (10+2 हायर सेकेन्डरी) पात्र हो तो इस विषय में मेरिट के आधार पर पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश पर विचार किया जावेगा।
3. आवेदक की उम्र 31 दिसम्बर 2018 तक न्युनतम 17 वर्ष हो (एक्स–रे रेडियोग्राफर के लिये आवेदक की उम्र 31 सितम्बर 2018 तक 18 वर्ष) तथा अधिकतम 25 वर्ष होना अनिवार्य है। आरक्षित श्रेणी एवं दिव्यांग्य(विकलांग) आवेदक की आयु अधिकतम 30वर्ष होना अनिवार्य है।
4. विभागीय (शासकीय) कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय कर्मचारियों को नियमित सेवा में होना अनिवार्य है तथा उसकी नियमित सेवा अवधि कम से कम 05 वर्ष तथा सेवानिवृत्ति में 05 वर्ष की समयावधी शेष होना अनिवार्य है। विभागीय शासकीय कर्मचारी के लिए उच्चतम आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। उक्त कर्मचारी केवल द्विवर्षीय डिप्लोमा एवं एक वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स हेतु ही पात्र होगे।
5. डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश की चयन प्रक्रिया हेतु जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक कुल प्राप्तांको के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जायेगी एवं उक्त सूची में आवेदको के समान प्राप्ताक होने पर उनकी जन्म तिथि के आधार पर प्रावीण्यता सूची में वरिष्ठता निर्धारित की जावेगी। एवं समान जन्म तिथि होने पर जीव विज्ञान, रसायन, भौतिकी विषयों में प्राप्ताकों के आधार पर प्रवेश दिया जावेगा।
6. डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम हेतु कुल प्राप्तांको के आधार पर प्रावीण्य सूची बनाई जावेगी एवं समान कुलांक होने पर आवेदक की प्रावीण्यता, विषयों की महत्ता के क्रम में उनके द्वारा प्राप्तांको को आधार बनाकर की जावेगी– जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक। इन सभी में भी समान अंक होने पर उम्र में वरिष्ठ को प्राथमिकात दी जावेगी।
7. यदि आवेदक ने कक्षा 12वीं वर्ष 2018 के पूर्व उत्त्तीण की हो तो गेप सर्टीफिकेट की प्रतिलिपि आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
8. नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारी को सक्षम अधिकारी द्वारा स्पष्ट अन्नापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ निर्धारित आवेदन–पत्र विभाग द्वारा अनुमति एवं अनुशंसा सहित

अग्रेषित कर समयावधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उन्हें विज्ञान विषय (जीव विज्ञान, रसायन, भौतिक) में कक्षा बारहवीं 10+2 हायर सेकेन्डरी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। पाठ्यक्रम चयन हेतु बारहवीं के प्राप्तांको के अनुसार बनाई गई प्रावीण्यता सूची ही मुख्य आधार होगा। शासकीय विभागीय कर्मचारी को उनके कार्यानुभव के आधार पर पांच वर्ष पश्चात प्रत्येक वर्ष के अनुभव पर एक अंक प्रदान किया जावेंगे एवं अधिकतम 10 वर्ष का अनुभव ही सम्मिलित किया जावेंगा। (अधिकतम 10 अंक)

9. म.प्र. के मूल निवासियों को ही प्रवेश में प्राथमिकता दी जावेगी। यदि कोई सीट खाली रहती है तो दूसरे राज्य के छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। आरक्षण का लाभ सिर्फ म.प्र. के मूल निवासी को ही देय होगा।
10. काऊसलिंग के दौरान किसी भी रजिस्टर्ड मेडिकल चिकित्सक द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करवाना अनिवार्य है।
11. सभी मार्कशीट्स प्रमाण–पत्रों एवं संबंधित दस्तावेजों में उम्मीदवार का नाम एक सा होना चाहिए। यदि नामों में किसी प्रकार की भिन्नता हो तो उससे संबंधित वैध दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा।
12. उम्मीदवार द्वारा काउंसलिंग में चयनित पाठ्यक्रम किसी भी स्थिति में परिवर्तित (बदल) नहीं किया जावेगा।
13. समस्त मूल दस्तावेज काउसलिंग के दौरान संस्था में जमा करवा लिए जावेंगे जो की पाठ्यक्रम अध्ययन पूर्ण करने अथवा आवंटित/प्रवेशित सीट से त्याग–पत्र देने की स्थिति में अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही लौटाये जायेंगे।
14. पाठ्यक्रम चयन हेतु काउंसलिंग के दिन समस्त मूल प्रमाण–पत्रों तथा निर्धारित फीस के साथ महाविद्यालय सभाग्रह में उल्लेखित समय पर स्वयं उम्मीदवार को उपस्थित रहना अनिवार्य होगा।
15. काउंसलिंग में उम्मीदवार को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा और इसके अलग से कॉल लेटर नहीं भेजा जायेगा। उम्मीदवार चिकित्सा महाविधालय की बेबसाईट को निरन्तर देखें। प्राविण्य सूची संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी एवं महाविद्यालय की वेबसाईट पर भी जारी की जावेगी।
16. उम्मीदवार को काउंसलिंग में भाग लेने हेतु यात्रा अपने स्वयं के व्यय पर करनी होगी।
17. पैरामेडिकल प्रमाण–पत्र एवं पैरामेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रम उत्तीर्ण उपरान्त छात्र–छात्रा एवं सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद भोपाल में पंजीयन (रजिस्ट्रेशन) एम.पी.आनलाईन पोर्टल के माध्यम से करवाना अनिवार्य है।
18. म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद द्वारा नियमित सेवारत् शासकीय कर्मचारियों के लिए जो 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए है इन सीटों पर केवल पैरामेडिकल पदों पर कार्यरत कर्मचारियों को ही चयन का लाभ दिया जाएगा एवं सक्षम अधिकारी (जिला

प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी/अधिष्ठाता/संचालक) अनुमति देना सुनिश्चित करेंगें।

19. यदि पैरामेडिकल स्टाफ से हटकर अन्य संवर्ग के अपात्र शासकीय कर्मचारियों को अनुमति इन पाठ्यक्रमों के लिए दी जाती है तो ऐसी स्थिति में अनुमति जारी करने वाले सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ अधिकारी / अधिष्ठाता/संचालक) जवाबदेह होंगे। (संचालक चिकित्सा शिक्षा म.प्र. का पृ.पत्र क्र. 748–51/स्था/अराज/2007 दिनांक 5.11.2007 के अनुसार)

20. संस्था द्वारा संचालित सह–चिकित्सीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र स्वतंत्र रूप से पैथालाजी लेब, अस्पताल आदि का संचालन नहीं कर सकेगा अपितु आयुर्विज्ञान परिषद/बोर्ड/काउन्सिल से पंजीकृत चिकित्सक के मार्गदर्शन में क्लिनिकल जांच आदि का कार्य सम्पादित कर सकेगा।

21. इस प्रकार का कृत्य मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम 1987 की धारा 13 तथा 24 एवं भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1956 में उल्लेखित प्रावधानों का उल्लंघन है। (म.प्र. सह–चिकित्सीय परिषद का पत्र क्र./एफ–296 /याचिका/ 2006 /011 भोपाल दिनांक 20.01.2011 के अनुसार)

22. सह–चिकित्सीय डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के उपरान्त कोई भी छात्र किसी मरीज का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवाईयों से संबंधित पर्चा नहीं लिख सकेगा। यह समस्त कार्यवाही वह मान्य अर्हताधारी, पंजीकृत चिकित्सक के निर्देशन में तथा मौजूदगी में ही सम्पादित करेगा।

23. बहु–उद्देशीय कार्यकर्ताओं (ANM) के पद पर कार्यरत् शासकीय कर्मचारियों को संस्था में संचालित उक्त पैरामेडिकल की विषय अनुसूची में सम्मिलित कोई भी प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

24. उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित शासकीय कर्मचारी के लिये किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जाने वाले शासकीय कार्यों में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) सुनिश्चित करें।

25. संबंधित कर्मचारी का उक्त प्रशिक्षण में चयन होने एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने के पूर्व उक्त कर्मचारी के पद की वैकल्पिक व्यवस्था सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) सुनिश्चित करेंगे।

26. विभाग प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु एक बार में अधिकतम 02 या 03 आवेदकों के आवेदन पर ही विचार किया जावे। एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर वरिष्ठ कर्मचारी के आवेदन–पत्र भेजने में प्राथमिकता दी जावे।

27. प्रशिक्षण उपरान्त भी शासन के प्रचलित विभागीय भर्ती, पदोन्नति नियमों के विरुद्ध पदोन्नति पाने का अधिकार नहीं रहेगा।

28. प्रशिक्षण कार्यक्रम में चयन आदेश जारी होने के उपरान्त ही संबंधित संस्था में आदेश की प्रति प्राप्त होने पर ही संबंधित को प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु कार्य मुक्त किया जावे।

29. अनापत्ति प्रमाण–पत्र व अनुमति प्रमाण–पत्र में सक्षम अधिकारी (जिला प्रमुख/अधिष्ठाता/संचालक /मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी) आवेदन पत्र के प्रोफार्मा प्रमाण–पत्र (विभागीय कर्मचारी) में बिन्दु क्र. 02 में यह दर्ज करें कि अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र यह जारीकर्ता द्वारा प्रवेश विवरणीका के दिशा–निर्देशों का अवलोकन पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ/करती हूँ।
30. विभागीय शासकीय कर्मचारियों को परिषद की परीक्षा में उत्तीर्ण उपरान्त इसी संस्था में 03 माह की प्रेक्टीकल ट्रेनिंग करना अनिवार्य है। परिषद की सैद्धान्तिक एवं प्रायोगिक परीक्षा के उपरान्त अपने मूल विभाग में उपस्थित होंगे एवं परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण होने के पश्चात 03 माह के प्रायोगिक प्रशिक्षण हेतु (इन्टर्नशिप) इसी संस्था में उपस्थित होना होगा।
31. पाठ्यक्रम से संबंधित समस्त प्रकार की जानकारी वेब साईट **www.mgmmcindore.in** पर उपलब्ध रहेगें । संबंधित उम्मीदवार नियमित रूप से वेबसाईट को देखें। पाठ्यक्रम में प्रवेश से संबंधित सूचना/पत्राचार नहीं किया जावेगा। पाठ्यक्रम उल्लेखित सीटों को कम एवं अधिक करने का अधिकार संस्था के पास सुरक्षित है।

द. पाठ्यक्रम शुल्क

आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को आदिम जाति कल्याण विभाग प्रदेश शासन के परिपत्र (क्र. /पोमिद्य/परिपत्र/2004–05/3726 दि. 20.07.2004 एवं कलेक्टर इंदौर कार्यालय कलेक्टर आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर के पत्र क्रमांक/पोमेछा/परिपत्र/परिपत्र/2012–13/3660 इंदौर दिनांक 02.07.2012 के अनुसार फीस में रियायत एवं छात्रवृत्ति देय होगी। इस हेतु उन्हें वर्तमान वर्ष का अपने पालक का आय प्रामाण–पत्र एवं आरक्षित श्रेणी का प्रमाण–पत्र, छात्रवृत्ति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति फॉर्म के साथ संलग्न करना होगी एवं काउंसलिंग के समय मूल प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगी।

शुल्क का विवरण

म.प्र. शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग के पत्र क्र. एफ/5–14/18155/चि.शि. भोपाल दिनांक 24 मई 2018 के अनुरूप

स्नातक पाठ्यक्रम बी.पी.टी./बी.ओ.टी./बी.एक्स.आर.टी. हेतु शुल्क(प्रथम वर्ष)

क्र.	**विवरण**	**शुल्क**
1	शिक्षण शुल्क	रु. 53,000/–
2	खेलकूद मनोरंजन	रु. 1,000/–
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रु. 1,000/–
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रु. 1,000/–
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रु. 5,000/–
	कुल योग रु.	**रु. 61,000/–**

नोटः– 1. द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष के लिये देय शुल्क रू. 56,000/– होगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होंगे।
2.सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।
3.उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी होगी।

द्विवर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुल्क(प्रथम वर्ष)

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रु. 33,000 / —
2	खेलकूद मनोरंजन	रु. 1,000 / —
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रु. 1,000 / —
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रु. 1,000 / —
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रु. 5,000 / —
	कुल योग रु.	**रु. 41,000 / —**

नोट :— 1. द्वितीय, वर्ष के लिये देय शुल्क रू.36000 / — होगा। अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होगें।

2.सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।

3.प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारीयों को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

4.उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी।

एकवर्षीय प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम शुल्क प्रतिवर्ष

क्र.	विवरण	शुल्क
1	शिक्षण शुल्क	रु.23,000 / —
2	खेलकूद मनोरंजन	रु.1000 / —
3	आंतरिक मूल्यांकन शुल्क	रु.1000 / —
4	प्रयोगशाला एवं सामग्री शुल्क	रु.1000 / —
5	सुरक्षा निधि (वापसी योग्य)	रु.5000 / —
	कुल योग रु.	**रु.31,000 / —**

नोट :— 1. एक वर्षीय प्रमाण—पत्र पाठ्यक्रम में अनुत्तीर्ण होने पर प्रति वर्षानुसार शुल्क देय होगें।

2. सुरक्षा निधि सफलतापूर्वक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात ही वापस लौटायी जावेगी।

3. प्रवेश लेने वाले सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारीयों को पूर्ण शुल्क जमा करना होगा।

4.उपरोक्त शुल्क में प्रतिवर्ष 7.4 प्रतिशत की स्वतः बढोत्तरी होगी।

आवश्यक नोटः —

1. समस्त श्रेणी के उम्मीदवारों को स्नातक, डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम का निर्धारित प्रथम वर्ष का शुल्क अनिवार्य रुप से काउंसलिंग के समय जमा करना होगा। यदि कोई स्नातक एवं डिप्लोमा कोर्स का उम्मीदवार 15 नवम्बर 2018 के पश्चात पाठ्यक्रम से त्याग पत्र देता है तो सीट लिविंग बॉड में निर्घारित राशि संस्था में जमा करनी होगी । तत्पश्चात ही उसका त्याग पत्र स्वीकार किया जावेगा।

नोट — अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को आदिम जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियमों के अनुसार एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल

पर उपलब्ध फॉर्म की पूर्ति करने पर नियमानुसार छात्रवृत्ति एवं उक्त शुल्क की प्रतिपूर्ति उम्मीदवार के बैंक खाते में जमा की जावेगी। उक्त उम्मीदवार का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में बैंक खाता होना अनिवार्य है।

– सहचिकित्सीय परिषद विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नामांकन व परीक्षा शुल्क एवं रजिस्ट्रेशन शुल्क अलग से देय होगा। साथ ही समय–समय पर निर्धारित विशेष अन्य शुल्क भी देय हो सकता है। प्रत्येक श्रेणी के सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी को पूर्ण फीस देय होगी।

– पाठ्यक्रम की निर्धारित कुल फीस नगद, पाठ्यक्रम चयन के समय ही (काउन्सलिंग के दौरान चालान के माध्यम से) भारतीय स्टेट बैंक शाखा एम.वाय.एच में बैंक खातें में जमा तुरन्त करना अनिवार्य होगा। अधिष्ठाता, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर (Dean, M.G.M. Medical College, Indore) के नाम द्वारा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उसकी प्रवेश पात्रता स्वतः ही समाप्त मान ली जावेगी।

– किसी विद्यार्थी को महाविद्यालय से निकाले जाने पर अथवा वह स्वयं महाविद्यालय से पृथक होगा तो किसी भी फीस की वापसी नहीं होगी।

– बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले आवेदको को अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर के नाम रू. 2,00,000/– का सीट लिविंग बॉड निस्पादित कर जमा करवाना होगा, जिसमें उल्लेख हो की पाठ्यक्रम पूर्ण किये बिना आवेदक पाठ्यक्रम छोडना है तो वह उक्त राशि संस्था को जमा करवायेगा। इसी तरह बेचलर ऑफ एक्स–रे रेडियोग्राफर हेतु राशि रू.1,25,000/– एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों हेतु राशि रू. 40,000 का सीट लिविंग बॉड निस्पादित कर जमा करवाना होगा।

– विभिन्न पाठ्यक्रमों में शिक्षण एवं अन्य शुल्क जारी नोटिसों में निर्धारित तिथियों के अनुसार द्वितिय तृतीय एवं चतुर्थ वर्ष हेतु जमा करवाने हेगे। यदि किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो विलम्ब शुल्क 20 रू. प्रति दिवस के हिसाब से देय होगा।

– समय–समय पर संस्था द्वारा लागू किये जाने वाले कम्प्यूटर, स्टेशनरी, पत्र–पत्रिका इत्यादि के शुल्क जमा करवाने हेगे।

– यदि आवेदक पाठ्यक्रम के दौरान किसी वर्ष में अनुउत्तीर्ण होता है तो उसके पाठ्यक्रम की अवधि बढ जावेगी, एवं बढी हुई अवधि के लिए लागू होने वाले समस्त शुल्क मय परीक्षा शुल्क देय होंगे।

इ. प्रवेश प्रक्रिया

1. निर्धारित तिथि पर पाठ्यक्रम चयन हेतु सभी उम्मीदवारों को व्यक्तिगत रुप से उपस्थित जावेगा। उपलब्ध सीट के अनुसार वे अपना पाठ्यक्रम चयन कर सकते हैं।
2. इस प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित मुल दस्तावेज जमा करना आवश्यक होंगे।

क. हायर सेकेण्डरी कक्षा बारहवीं 10+2 की मूल अंकसूची तथा दो अभिप्रमाणित छायाप्रति।

ख. स्कूल छोड़ने का प्रमाण–पत्र (टी.सी./एस.एल.सी.) मूल प्रति होना आवश्यक है। टी. सी. एवं माईग्रेशन सर्टिफिकेट की मुल प्रति प्रवेश के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा, अन्यथा आवेदक को प्रवेश नहीं दिया जावेगा।

ग. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र (हाईस्कूल की अंकसूची जिसमें जन्मतिथि दशायी गई हो)

घ. मूल निवासी प्रमाण–पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।

ड. यदि लागू हो तो – सक्षम अधिकारी द्वारा वर्तमान में जारी जाति प्रमाण–पत्र/ विकलांग प्रमाण–पत्र जबलपुर से मान्यता प्राप्त/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण–पत्र/सैनिक का प्रमाण–पत्र (दो अभिप्रमाणित छायाप्रतियों के साथ)।

च. पिता/माता/पालक (माता पिता यदि दोनों नौकरी या व्यवसाय में हो तो) का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया वर्तमान का आय प्रमाण–पत्र।

छ. निर्धारित शुल्क नगद अथवा डिमांड ड्राफ्ट द्वारा देय होगी।

ज. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी हेतु विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र।

झ. काउंसलिंग के समय उक्त समस्त मूल प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

न. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग के अधिन प्रवेश लेने हेतु जिला कलेक्टर से तत्संबंधी प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। मार्कशीट, सर्टिफिकेट एवं अन्य दस्तावेजों में नाम अलग–अलग होने की स्थिति में उससे संबंधित वैध दस्तावेज।

नोटः– प्रवेश के समय जमा किये गये समस्त मुल दस्तावेज आवेदक द्वारा पाठ्यक्रम पूर्ण होने के उपरान्त लेखा शाखा, पुस्तकालय, खेलकूद प्रभारी, होस्टल, प्रयोगशाला, एवं अन्य संबंधित विभागो से अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त की लौटाये जावेगे।

छात्रावास :– डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाली छात्राओं हेतु निर्धारित संख्या में छात्रावास सुविधा उपलब्ध है। जिसके लिए सीटों की उपलब्धता पर निर्धारित शुल्क पृथक से जमा करवाकर सीट आंवटित करवाकर छात्रावास में प्रवेश लिया जा सकता है।

शैक्षणिक भ्रमण :– बी.पी.टी. एवं बी.ओ.टी. पाठ्यक्रमों मे प्रवेशित छात्र–छात्राओं को अन्तिम वर्ष में देश ख्याती प्राप्त संस्थानों में शैक्षणिक भ्रमण आयोजित किया जावेगा जो कि समस्त छात्र–छात्राओं को आवश्यक होगा एवं उसके लिए समस्त व्यय रहने ठहरने की व्यवस्था एवं आवागमन एवं अन्य खर्चे संबंधित छात्र–छात्राओं को स्वयं वहन करने होगें।

महत्वपूर्ण नोट :–

1. संबंधित पाठ्यक्रम पूर्ण करने पर म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा डिग्री/डिप्लोमा प्रदान किये जावेंगे एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों के प्रमाण म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद द्वारा जारी किया जावेंगे।
2. छात्रों द्वारा म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर द्वारा जारी नियम–नियमाकुल, पत्र–परिपत्र एवं दिशा निर्देशो का पालन करना अनिवार्य होगा।
3. उपरोक्त सह चिकित्सीय पाठ्यक्रमों में उत्तीर्ण होने के उपरान्त एम.पी. आनलाईन पोर्टल के माध्यम से म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद भोपाल में पंजियन (रजिस्ट्रेशन) करवाना अनिवार्य है।
4. संस्थान के पास इन नियमों में किसी भी प्रकार का संशोधन करने एवं प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के बदलाव के अधिकार है जो कि आवेदक पर लागू होगें।

फ. प्रवेश निरस्तीकरण के नियम

1. यदि यह पाया गया कि विद्यार्थी ने किसी झूठी या अधूरी सूचना के आधार पर प्रवेश लिया है या प्रवेश किसी त्रुटीवश या शंकास्पद स्थिति में दिया गया है, ऐसी स्थिति में संस्था प्रमुख का निर्णय ही अंतिम व मान्य होगा।
2. जो विद्यार्थी निर्धारित तिथि प्रवेश दिनांक से 15 दिन तक पाठ्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करायेंगे उनकी प्रवेश पात्रता स्वतः ही समाप्त हो जावेगी। किसी उचित कारण से देरी होने पर पाठ्यक्र अधिकारी को सूचना देना आवश्यक है। तत्पश्चात् संबंधित अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य होगा।
3. प्रवेश के पश्चात बिना किसी सूचना के एक सप्ताह तक कक्षाओं से अनुपस्थित रहने पर पाठ्यक्रम से निष्कासित किया जा सकता है।
4. यदि छात्र किसी भी प्रकार की समाज विरोधी गतीविधियो में लिप्त पाया जाता है, कैम्पस के अन्दर या बाहर किसी प्रकार का गलत आचरण करता है, एवं शिक्षण विरोधी गतीविधियों या रेगिंग में भाग लेता है तो उसका निष्कासन किया जा सकता है।
5. यदि छात्र कक्षा में अनाधिकृत रुप से अनुपस्थित रहता है तो उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
6. अनुशासनहीनता अथवा दुर्व्यवहार का दोषी पाये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जावेगा।
7. संस्था प्रमुख के पास अधिकार है की छात्र–छात्रा के अनुचित व्यवहार के कारण वह अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए संस्था से निष्कासन/प्रवेश निरस्तिकरण कर सकते है।
8. यदि आवेदक अपना प्रवेश हेतु काउसलिंग की अन्तिम तिथि के उपरान्त अपना प्रवेश निरस्त करवाना चाहते है तो उन्हें आवेदन, शपथ पत्र के साथ सीट लिविंग बॉड राशि डिमांड ड्रफ्ट द्वारा संस्था को जमा करवानी होगी। उक्त आवेदन पर अधिष्ठाता महोदय द्वारा प्रवेश निरस्तिकरण की स्वीकृति उपरान्त ही प्रवेश के समय जमा करवाये गये मुल दस्तावेज आवेदक/अधिकृत व्यक्ति को ही लौटाए जावेगें।
9. यदि प्रमाण पत्रों का सत्यापन आवश्यक हुआ तो आवेदक के संबंधित दस्तावेजो को संबंधित संस्थान में प्रेषित कर सत्यापित करवाया जावेगा, जिसके देय शुल्को की पूर्ती आवेदक द्वारा की जावेगी।

ग. विद्यार्थियों के लिय आचरण संहिता :–

1. महाविद्यालय की गरिमा बनाये रखने के लिये विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे पूर्णतः अनुशासित रहे एवं महाविद्यालय के नियमों का ईमानदारी से पालन करें।
2. सैद्धातिंक कक्षाओं में 75 प्रतिशत तथा प्रायोगिक कक्षाओं में 85 प्रतिशत उपस्थिति होना अनिवार्य है, अन्यथा संबंधित छात्र को परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता नहीं दी जावेगी जिससे उनकी पाठ्यक्रम अवधी बढ जावेगी एवं आरक्षित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ती हेतु संबंधित विभाग को आवेदन अग्रेषित नहीं किया जावेगा।
3. अधिष्ठाता महोदय द्वारा परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु उपयुक्त एवं संतोष जनक कारण होने पर ही निर्धारित उपस्थिति में से 5 प्रतिशत उपस्थिति के लिए ही अनुसंशा की जा सकती है।

4. प्रत्येक छात्र व उसके पालक की जवाबदारी होगी समय–समय पर वो कक्षा में उपस्थिति प्रतिशत तथा पढ़ाई संबंधित जानकारी लेते रहें।
5. नीला एप्रेन पहनने पर ही विद्यार्थी को कक्षा / लेब में प्रवेश प्राप्त होगा।
6. फिलहाल छात्रावास सुविधा उपलब्ध डिप्लोमा एवं नहीं है। अपनी रहने की व्यवस्था छात्र को स्वयं की करनी होगी।

ज. महत्वपूर्ण तिथियॉ

1. भरे हुए आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तारीख :10–09–2018 शाम 5 बजे तक
2. प्रावीण्य सूची की घोषणा :20–09–2018
(सूची से संबंधित कोई भी आपत्ति की सूचना 3 दिवस के भीतर लिखित रूप से अध्यक्ष पैरामेडिकल को दी जानी चाहिये)
3. काउन्सलिंग एवं फीस जमा करने की तारीख :(बेचलर डिग्री) 25.09.2018
(डिप्लोमा) 26.09.2018 एवं 27.09.2018
(सर्टिफिकेट) 28–09–2018
4. नियमित कक्षाएं प्रारम्भ होने की तारीख :01.10.2018

काउन्सलिंग : –

काउसलिंग उपरोक्त तिथियों पर प्रातः 09 बजे से निम्नानुसार क्रम में प्रावीण्य सूची एवं सीटों की उपलब्धता के आधार पर प्रवेश हेतु आयोजित की जावेगी।

काउसलिंग का क्रम निम्नानुसार होगा :–

1. सेवारत् नियमित शासकीय कर्मचारी श्रेणी (डिप्लोमा एवं प्रमाण पत्र पाठ्यक्रमों हेतु)
2. अनुसूचित जाति
3. अनुसूचित जनजाति
4. अन्य पिछड़ा वर्ग
5.अनारक्षित एवं आरक्षित वर्ग की शेष बची हुई सीटों के लिए

नोटः– 1. उपरोक्त श्रेणीयों में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर रिक्त सीट की पूर्ती म.प्र. शासन के प्रवेश नियम अनुसार की जावेगी।

2. उपरोक्त आरक्षित श्रेणीयों (अनुसूचीत जनजाति, अनुसूचीत जाति एवं अन्य पिछडा वर्ग) में उपयुक्त आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर सीटों की पूर्ती अनारक्षित वर्ग से की जावेगी।

3. मिलिट्री पर्सन एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रेणी के आवेदक उपलब्ध नहीं होने पर उक्त सीटों की पूर्ती बी.पी.टी. कोर्स अनारक्षित श्रेणी के आवेदक द्वारा एवं अन्य पाठ्यक्रमों में जिस श्रेणी से उक्त सीटे आवंटित है उसी श्रेणी के आवेदको को प्रवेश दिया जावेगा।

4. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु काउंसलिंग प्रथम चरण में होगी, यदि कोई सीट रिक्त रहती है तो द्वितिय चरण की काउसलिग हेतु मेरिट सूची वेबसाईट पर डाली जावेगी एवं संस्था के नोटिस बोर्ड पर लगाई जावेगी।

आवेदन पत्र वर्ष 2018
महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय,
(स्वशासी संस्था), इन्दौर म.प्र.   फॉर्म क्रमांक.......
डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण–पत्र सह–चिकित्सा पाठ्यक्रम हेतु

कार्यालयीन उपयोग हेतु
फीस प्राप्त हुई
रू.
रसीद क्र.
दिनांक

राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट आकार का वर्तमान का फोटो चिपकाएँ

1.आवेदक का पूरा नाम {हिन्दी में}---

आवेदन का पूरा नाम {अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}--------------------------

2.लिंगः– महिला/पुरूष...{कृपया अन्य काट देवें}

3.पिता/पति का नाम{अंग्रेजी के केपीटल अक्षरों में}-----------------------------------

पिता/पति का नाम{हिन्दी के अक्षरों में}--

माता का नाम}--

श्रेणीः– अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग

स्वतंत्रता सेनानी/विकलांग/सैनिक. {संबंधित श्रेणी पर √ का निशान लगाये}

4.स्थायी पूर्ण पताः–...

....दूरभाष नं...

मोबाईल नं...ई–मेल पता...

स्थानीय पूर्ण पताः–...

....दूरभाष न..............................

मोबाईल नं...

ई–मेल पता...

5. जन्म दिनांक................................शब्दों में जन्म दिनांक.................................... (आयु दिनांक 31.12. 2018) ....वर्ष ....माह..............दिन..................

6. जन्म स्थान...जिला..............................राज्य........................राष्ट्रीयता.........................

7. उम्मीदवार का आधारकार्ड नं..समग्र आई.डी.नं...

8. स्थानीय अभिभावक का पूरा नाम एवं पता(बाहरी अभ्यार्थियों के लिये)..

....दूरभाष ....मोबाईल नं..................................

निर्देशिका के पाठ्यक्रम शुल्क तालिका अनुसार अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविधालय एवं संबद्ध चिकित्सालय स्वशासी संस्था, इंदौर के नाम से विषय आवंटन के समय ही जमा करना होगी, अन्यथा प्रवेश पात्रता रद्द हो जावेगी।

9.शैक्षणिक योग्यताः–

परीक्षा का नाम	बोर्ड का नाम	वर्ष	विषय	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
हायर सेकेन्डरी 10+2			जीव विज्ञान			
			रसायन शास्त्र			
			भौतिक शास्त्र			
			हिन्दी			
			अंग्रेजी			
			अन्य विषय 1			
			2			
			3			
			कुल अंक			

10.कृपया निम्नांकित की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करेंः–

क. कक्षा 10वी हायर सेकेन्डरी की अंकसूची

ख. कक्षा 12वी(10+2 हायर सेकेन्डरी)की अंकसूची

ग. जन्म प्रमाण–पत्र

घ. मूल निवासी प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ।

ड. आरक्षित वर्ग के लिए जाति प्रमाण–पत्र जिला अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया।

च. वर्तमान वर्ष का आय प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया ।

ज. यदि लागू हो तो–जाति प्रमाण पत्र/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रमाण पत्र(जिला कलेक्टर द्वारा जारी)/सैनिक का प्रमाणपत्र

छ. गेप सर्टिफिकेट यदि लागू हो तो ।

झ. सेवारत नियमित शासकीय कर्मचारी को आवेदन–पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। 1.नियमित सेवानियुक्ति आदेश 2.कार्यभार ग्रहण करने का पत्र(ज्वाईनिंग प्रमाण–पत्र) 3.नियमितीकरण संबंधि आदेश

10. पिता का व्यवसाय.................................माता का व्यवसाय.................पति/पत्नी का व्यवसाय........................ एवं परिवार की सम्पूर्ण वार्षीक आय...

11मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त आवेदन पत्र में मेरे द्वारा दी गई सम्पूर्ण जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। यदि इसमें कोई जानकारी अपूर्ण एवं गलत पायी जाती है तो मेरा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है तथा मेरे विरूद्ध कार्यवाही की जा सकती है।

नोटः– आवेदक एक फॉर्म भरकर ही सभी पाठ्यक्रमों के लिए मेरिट के आधार पर काउसलिंग में

सम्मिलित हो सकता है।

दिनांक........................ पिता/माता/पालक के हस्ताक्षर........................ आवेदक के हस्ताक्षर.............

केवल शासकीय कर्मचारी हेतु वर्ष 2018

श्री/श्रीमती...पद......................................विभाग का नाम...नियुक्ति की दिनांक.. को पैरामेडिकल द्वि वर्षीय डिप्लोमा/एक वर्षीय प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इजाजत दी जाती है।

उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता/करती हूँ।

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
सील एवं मोबाईल नं.
(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक)

नोटः– 1.उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम संबंधित कर्मचारी विभाग के लिए किस प्रकार से लोकहित में उपयोगी है एवं कर्मचारी के द्वारा सम्पादित किये जानेवाले शासकीय कार्यो में किस तरह उपयोगी है इसका प्रमाण–पत्र संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी/(अधिष्ठाता/जिला प्रमुख/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संचालक) उक्त कर्मचारी को पैरामेडिकल पाठ्यक्रम प्रवेश विवरणीका के दिशा–निर्देशों का अवलोकन करने के पश्चात सहमति प्रदान करता हूँ।

M.G.M. MEDICAL COLLEGE & ASSOCIATED HOSPITALS AUTONOMOUS SOCIETY, INDORE

ACKNOWLEDGMENT – 2018

Received Application Form No……………..from (Name of applicant)…………………………..

……………………..on (Date)……………………………for admission to Paramedical Degree/Diploma/Certificate Course.

Course For ------------------- 2018

Receiver's Signature